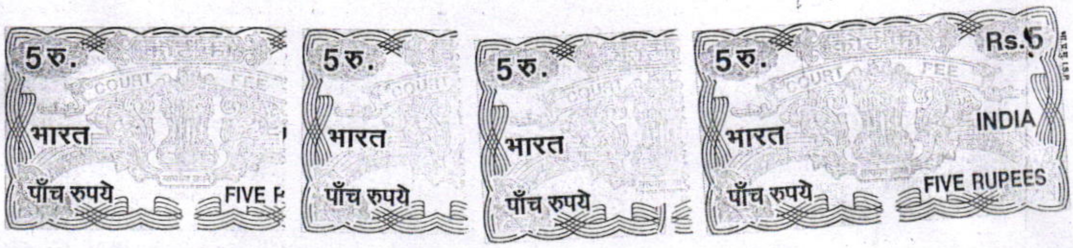


## न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी - 5658/2018/रायसेन/भू.रा. प्रकरण क्रमांक : ............

01. रामसिंह, आयु वयस्क
02. बाबूसिंह, आयु वयस्क
दोनों निवासी – ग्राम पापड़ा,
तहसील बेगमगंज, ज़िला रायसेन .......... प्रार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, ज़िला रायसेन ........... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.06.2018 , जो प्रकरण क्र. 0009/पुर्न/2017–18 में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया।

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5658/2018/रायसेन/भूरा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26-10-2018 | आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-6-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उनके समक्ष 21 साल बाद प्रस्तुत पुर्नविलोकन आवेदन को अवधि बाह्य होने से निरस्त किया है, क्योंकि विलम्ब कोई समाधानकारक कारण आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । अत: अपर आयुक्त द्वारा पुर्नविलोकन निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।<br><br>अध्यक्ष | |